न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 342/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

विकास कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) – **वादी**

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र श्री लिछमण जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. विक्रम सिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। – **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 13.8.2022

वादी विकास ने प्रतिवादीगण रामकुमार वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी का भाई है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 83/0 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में कुल खाता 3.097 है. में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.5485 है. कृषि भूमि तथा चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में कुल खाता 3.276 है. में से 1/2 हिस्सा 1.638 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 [illegible] होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों [illegible] करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य [illegible] में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रति[illegible] सं. 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:–

लगातार --2

13/8

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

(क) वादी विकास कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) एवं प्रतिवादी सं. 2 विक्रम सिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 83/0 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.5485 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.012 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 रामकुमार पुत्र श्री लिछमण जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.626 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 83/0 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 तथा चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

13/8
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --3

जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 83/0 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता 3.097 है. में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.5485 है. कृषि भूमि तथा चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में कुल खाता 3.276 है. में से 1/2 हिस्सा 1.638 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 83/0 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता 3.097 है. में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.5485 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में कुल खाता 3.276 है. में से 1/2 हिस्सा 1.638 है. कृषि भूमि में से 1.012 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तामील तकमील मियाद से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.08... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

13/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 342/2022

विकास कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र श्री लिछमण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. विक्रम सिंह पुत्र श्री रामकुमार जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 13.8.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 एस.एन.जी. के खाता सं. 83/0 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता 3.097 है. में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.5485 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 5 बी. जी.पी. के खाता सं. 71/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में कुल खाता 3.276 है. में से 1/2 हिस्सा 1.638 है. कृषि भूमि में से 1.012 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X...... निल ......X...... बाबत ......X...... निल......X........ खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना ...... तारीख वसूलयाबी तक ......X..........को अदा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:58 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** ...13.8.22......... को जारी किया जाता है।

13/8/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया